भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1121
(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946(शक) को दिया जाना है)

बैंक उधारकर्ताओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और ऋणदाताओं के बीच सांठ-गांठ

1121 **डॉ. थिरुमावलवन थोलकाप्पियान:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या आयकर प्राधिकारियों ने छापेमारी के दौरान बैंक उधारकर्ताओं और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के बीच सांठ-गांठ पाई है, जिससे ऋण परिसंपत्तियों में हेरफेर किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को भारी नुकसान हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलीभगत के कारण बैंक और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं, एआरसी और ऋणदाताओं की ऐसी अनुचित और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) : आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में 'छापे' की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तथापि, आयकर विभाग (आईटीडी) ने हाल ही में कतिपय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की तलाशी का अभियान चलाया गया है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के दौरान कर अपवंचन और अधिनियम के अन्य उल्लंघनों के साक्ष्य पाए गए थे। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के अंतर्गत यथा उपबंधित को छोड़कर विशिष्ट निर्धारितियों के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है।

(ग) और (घ): आरबीआई ने, मास्टर निर्देश – भारतीय रिज़र्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निर्देश, 2024 दिनांक 24 अप्रैल, 2024 जारी किए हैं, जो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर लागू होते हैं। इन निर्देशों के प्रावधान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत प्रत्येक एआरसी पर लागू होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर मास्टर निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=12669

****